प्रेस विज्ञप्ति

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा जनपद सहारनपुर में प्रस्तावित भ्रमण/निरीक्षण कार्यक्रम में रिजर्व पुलिस लाईन, सहारनपुर में स्थित नवनिर्मित परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थाने का उद्घाटन करते हुये पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा निर्देशः—

आज दिनांक 26—08—2020 को श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा जनपद सहारनपुर प्रस्तावित भ्रमण के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन, सहारनपुर में परेड सलामी ग्रहण करने के पश्चात् परेड, बैरक, मेस, पुलिस सब्सिडियरी कैंटीन, जिम, हैप्पी किड्स, स्टोर रूम, एकाउन्ट ब्रांच, अभिसूचना ईकाई, यूपी 100, अभियोजन शाखा, महिला प्रकोष्ठ, विशेष जांच प्रकोष्ठ अन्य सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया तथा रिजर्व पुलिस लाईन, सहारनपुर में स्थित नवनिर्मित परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया। निरीक्षण/भ्रमण के दौरान उनके साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/ग्रामीण, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक, सहारनपुर एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण मौजूद रहें। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा पुलिस लाइन्स में कोरोना संक्रमण महामारी के दृष्टिगत बनायी गयी कोविड़ हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मचारियों से उनके दायित्व एवं कर्तव्यों की जानकारी लेते हुये विशेष रुप से सर्तक रहने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात् पुलिस पैंशनर्स बोर्ड की मीटिंग ली गई तथा थाना गागलहेड़ी व थाना फतेहपुर थाने का निरीक्षण किया गया। जिसमें कार्यालय अभिलेख चैक किये, कर्मचारी मैस, व बैरक तथा थाना परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया गया तथा पौधारोपण किया एवं पेंडिग विवेचनाओं के निस्तारण एवं सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश देते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स में समस्त थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियो के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी में आगामी त्यौहारो एवं अपराध की रोकथाम व कानून सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये।

प्रेस नोट दिनांक 26–08–2020

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले अभियुक्त को 17 घण्टो के अन्दर मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि दिनांक 25–08–2020 को सोशल मीड़िया प्लेटफार्म (फेसबुक) पर ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर के रहने वाले विक्की पुत्र ऋषिपाल द्वारा इस्लाम के सम्बन्ध में अश्लील/अमर्यादित/अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुये पोस्ट डाली गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 178/2020 धारा 295ए भादवि व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना बिहारीगढ पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके कम में आज दिनांक 26–08–2020 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त 1–मनोज उर्फ विक्की पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को मोबाइल फोन सहित ग्राम कुरडीखेडा से समय 09:00 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–मनोज उर्फ विक्की पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–मोबाइल फोन (ओप्पो कम्पनी)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री सुरेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष बिहारीगढ, सहारनपुर।
2–उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
3–उ0नि0 श्री सोहनपाल गिरि थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
4–का0 1590 अंकुर तोमर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
5–म0का0 158 सोनिया थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।